न्यायालयः अपर जिला जज प्रथम, हापुड़।
सत्र वाद संख्या– 1003/2024
सरकार बनाम माजिद उर्फ माजिया आदि।
अंतर्गत धारा– 347, 307/149, 504, 506 भा०दं०सं०।
मु०अ०सं० 197/2019
थाना– बहादुरगढ़, जिला– हापुड़।

आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)

दिनांकः– 05.05.2026

पुकार कराई गई। पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण **दानिश, हरेन्द्र, साहिर, माजिद उर्फ माजिया व जाहिद** जेरे जमानत उपस्थित।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आरोप विरचन के बिन्दु पर बहस की गई। विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एस०सी०/एस०टी० एक्ट) को सुना गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एस०सी०/एस०टी० एक्ट) द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया, जिसके द्वारा उन्हें अभियोजन का पक्ष कथन सिद्ध करना है।

पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण **दानिश, हरेन्द्र, साहिर, माजिद उर्फ माजिया व जाहिद** के विरुद्ध भा०दं०सं० की धारा 347/149, 307/149, 504, 506 के अधीन आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध हैं। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त धारा के अधीन आरोप विरचित किया जाकर वास्ते अभियोजन साक्ष्य पत्रावली दिनांक 22.05.2026 को पेश हो।

दिनांकः– 05.05.2026

(हनी गोयल)
(J.O. Code–UP2408)
अपर जिला जज प्रथम,
हापुड़।

Digitally signed by HONEY GOEL
Date: 2026.05.11 10:56:54 IST
Reason:
Document Owner
Location: District and Sessions Court

न्यायालयः अपर जिला जज प्रथम, हापुड़।
सत्र वाद संख्या– 1003/2024
सरकार बनाम माजिद उर्फ माजिया आदि।
अंतर्गत धारा– 347, 307/149, 504, 506 भा०दं०सं०।
मु०अ०सं० 197/2019
थाना– बहादुरगढ़, जिला– हापुड़।

आरोप

मैं, हनी गोयल, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़ एतद्द्वारा आप अभियुक्त **दानिश, हरेन्द्र, साहिर, माजिद उर्फ माजिया व जाहिद** को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूं–

प्रथम– यह कि दिनांक 14.10.2019 समय 14.15 बजे दिन, वहद स्थान जंगल ग्राम विहुनी, थाना बहादुरगढ़, जिला हापुड़ में आप अभियुक्तगण ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में वादी मुकदमा को गैर कानूनी तरीके से अवैध कार्य हेतु बंधक बनाकर सदोष परिरोध किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भा०दं०सं० की धारा 347/149 के अंतर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में वादी मुकदमा को जान से मारने की नीयत से मारपीट करके ऐसा कार्य कारित किया कि यदि उस कार्य से वादी मुकदमा की मृत्यु कारित हो जाती तो आप हत्या की कोटि में आने वाले आपराधिक मानववध के दोषी होते। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भा०दं०सं० की धारा 307/149 के अंतर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा के साथ गाली गलौज कर अपमानित किया। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा 504 के अधीन दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा 506 के अधीन दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों को अस्वीकार किया और विचारण की मांग की।

दिनांकः– 05.05.2026

(हनी गोयल)
(J.O. Code–UP2408)
अपर जिला जज प्रथम,
हापुड़।

अतएव एतद्द्वारा मैं, आपको आदेशित करता हूं कि उक्त आरोपों के लिए आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः– 05.05.2026

(हनी गोयल)
(J.O. Code–UP2408)
अपर जिला जज प्रथम,
हापुड़।